

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 27.09.2018 को पुलिस लाइन स्थित सभागार में पुलिस विभाग के कर्मियों के लिए एक दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया । इसमें भारत आरक्षित वाहिनी सहित अण्डमान तथा निकोबार पुलिस के विभिन्न इकाइयों के कर्मचारियों ने भाग लिया । इस कार्यशाला का उद्घाटन श्री दीपक यादव, पुलिस अधीक्षक (पुलिस मुख्यालय) द्वारा किया गया । मुख्य अतिथि ने कर्मचारियों को इस कार्यशाला का भरपूर लाभ उठाने तथा दैनिक शासकीय कार्यों में हिन्दी का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने तथा हिन्दी में कार्य करने में होने वाले परेशानियों का समाधान खोजने का अनुरोध किया ।

इस कार्यशाला में श्री अजय सिंह, हिन्दी अनुवादक, सचिवालय ने व्याख्यान दिए ।

समापन समारोह में श्री श्रीकिशन मीना, पुलिस उप अधीक्षक (सशस्त्र पुलिस), अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह मुख्य अतिथि थें । अपने भाषण में मुख्य अतिथि महोदय ने कहा कि हिन्दी हमारी राजभाषा है इसका प्रयोग करने में हमें किसी प्रकार का झिझक महसूस नहीं होनी चाहिए तथा आगे उन्होंने भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया और अधिक से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ उठाने को कहा । उन्होंने अण्डमान तथा निकोबार पुलिस विभाग के पुलिस कर्मियों और अधिकारियों से अधिक से अधिक काम हिन्दी में करने तथा राजभाषा नियम/नीति कार्यान्वयन में पुलिस विभाग को मिसाल बनाने का अपील की । अंत में उन्होंने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किये । पुलिस उप अधीक्षक (पुलिस मुख्यालय) इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए आवाहन किया कि आज हमने इस कार्यशाला में जो सीखा है उसका प्रयोग अपने दैनिक कार्यों के निपटान में अवश्य करें ताकि हमारा विभाग भविष्य में शत प्रतिशत प्रशासनिक कार्य करने वाला विभाग बने तथा इस प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ उठाना चाहिए ।

कार्यक्रम संचालन विभाग के हिन्दी इकाई के श्रीमती नीलम सिंह ने किया ।

सं.पु.म.नि/33-6/11/01/2018/323
पुलिस महानिदेशक का कार्यालय
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF POLICE
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS
* * *

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 01 सितम्बर, 2018

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य सम्पादक, द्वीप समाचार
 2. मुख्य सम्पादक, दि डेली टेलीग्राम
 3. समाचार सम्पादक, प्रादेशिक समाचार, पोर्ट ब्लेयर
 4. समाचार सम्पादक, दूरदर्शन केन्द्र, पोर्ट ब्लेयर
 5. हिन्दी अधिकारी, राजभाषा विभाग, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, सचिवालय को सूचनार्थ ।
- } इस अनुरोध के साथ कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति को प्रकाशित करें ।
- } इस अनुरोध के साथ कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति को अपने समाचार में शामिल

पुलिस अधीक्षक (पु.मु.)